



2026:AHC-LKO:40452

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

मामले अंतर्गत अनुच्छेद 227 संख्या - 3460 सन 2026

महेश कुमार एवं अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

आयुक्त देवी पाटन मंडल, गोंडा एवं अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	वीरेंद्र कुमार तिवारी
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिज़वी

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री वीरेंद्र कुमार तिवारी तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आलोक सिंह चौहान को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।

2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"(i) प्रतिवादी संख्या-1, अर्थात् विद्वान आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोंडा, जिला गोंडा को निर्देशित किया जाए कि वे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत विचाराधीन पुनरीक्षण संख्या-0131 सन् 2023, श्रीमती सुनीता एवं अन्य बनाम तेजावती एवं अन्य, कम्प्यूटर वाद संख्या सी202308000000131 में प्रस्तुत एवं दिनांक 25.01.2023 से लंबित स्थगन/अंतरिम राहत प्रार्थना-पत्र का यथाशीघ्र विचार कर निर्णय करें तथा उपर्युक्त पुनरीक्षण संख्या-0131 सन् 2023, श्रीमती सुनीता एवं अन्य बनाम

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तेजावती एवं अन्य, का भी न्यायहित में एक निश्चित, त्वरित एवं युक्तिसंगत अवधि के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करें।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत पुनरीक्षण संख्या 0131 सन् 2023 को विद्वान अपर आयुक्त (प्रशासन), देवी पाटन मंडल, जिला गोंडा द्वारा पारित दिनांक 25.01.2023 के आदेश के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया था। उनका कहना है कि याचिकाकर्ता ने उक्त पुनरीक्षण के साथ अंतरिम राहत हेतु एक आवेदन भी प्रस्तुत किया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। उनका तर्क है कि उक्त अंतरिम राहत के आवेदन के लंबित रहने के कारण याचिकाकर्ता को अनुचित कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि एक बार वैधानिक अपील अपीलीय न्यायालय द्वारा ग्रहण कर ली गई है, तो अपीलीय न्यायालय के लिए अंतरिम राहत हेतु आवेदन पर विचार करना और उस पर आदेश पारित करना अनिवार्य है। उन्होंने न्यायालय को अवगत कराया है कि मामले में अगली निर्धारित तिथि 02.07.2026 है।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मूलचंद यादव एवं अन्य बनाम रज़ा बुलंद शुगर कंपनी लिमिटेड रामपुर एवं अन्य के मामले में, जो 1982 (3) एससीसी 484 में प्रतिपादित है, निम्नानुसार अवलोकन करने की कृपा की है:

"..... लेकिन न्यायिक दृष्टिकोण यह अपेक्षा करता है कि अपील के लंबित रहने के दौरान गंभीर दीवानी परिणाम वाले आदेश के संचालन को स्थगित किया जाना चाहिए। और भी अधिक तब, जब अपील स्वीकार कर ली गई हो। वाद-विवाद के पूर्व इतिहास की अनदेखी नहीं की जा सकती।"

6. इस न्यायालय ने अली शेर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर, बिजनौर एवं अन्य के मामले में; जो 2007 (102) आरडी 498 में रिपोर्ट किया गया है, यह माना है कि:

"यह सुस्थापित है कि एक बार किसी दीवानी परिणाम वाले आदेश के विरुद्ध किसी उच्च न्यायालय द्वारा अपील या पुनरीक्षण स्वीकार कर लिया जाता है, तो सामान्यतः स्थगन प्रदान किया जाना चाहिए ताकि स्थिति का झूलता हुआ पेंडुलम न बने, जब तक कि न्यायालय अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह न पाए कि स्थगन प्रदान करने का कोई मामला नहीं है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायालय ने मूल चंद बनाम रज़ा बुलंद शुगर इंडस्ट्रीज़ के मामले में अवलोकन किया है।"

7. उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय नियमावली का प्रस्तर 458 निम्नानुसार प्रावधान करता है:

"458. शीघ्र निस्तारण- (1) न्यायालय इस बात का प्रयास करेगा कि वाद की संस्था की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर वाद का अंतिम रूप से निर्णय कर दिया जाए और यदि वाद का निर्णय उक्त अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो उसके लिए कारण अभिलिखित किए जाएंगे।

(2) अपील या पुनरीक्षण न्यायालय इस बात का प्रयास करेगा कि, यथास्थिति, अपील या पुनरीक्षण दायर किए जाने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर अपील या पुनरीक्षण का अंतिम रूप से निर्णय कर दिया जाए और यदि अपील या पुनरीक्षण का निर्णय उक्त अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो उसके लिए कारण अभिलिखित किए जाएंगे।"

8. उपर्युक्त खंड के साधारण पठन से यह स्पष्ट होता है कि विधायी आशय स्पष्ट और असंदिग्ध रूप से यह है कि कार्यवाहियों को निर्धारित समयावधि के भीतर समाप्त किया जाना आवश्यक है और विलंब की स्थिति में, संबंधित प्राधिकारी उक्त विलंब के कारणों को अभिलिखित करने के लिए बाध्य है।

9. राज्य-प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने कहा कि यदि इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त अपील के साथ अंतरिम राहत हेतु आवेदन का शीघ्र निस्तारण, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली निर्धारित अवधि के भीतर करने के निर्देश के साथ वर्तमान याचिका का निस्तारण कर दिया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

10. पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश की प्रकृति को देखते हुए, प्रतिवादी संख्या 3 से 8 को नोटिस की तामील से छूट दी जाती है।

11. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मत है कि इस याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

12. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना तथा उपस्थित पक्षकारों की सहमति से, यह न्यायालय वर्तमान याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करना उचित समझता है, तथा आयुक्त, देवी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पाटन मंडल, जनपद गोंडा (प्रतिवादी संख्या 1) को निर्देशित करता है कि उसके समक्ष लंबित पुनरीक्षण संख्या 0131 सन् 2023, कंप्यूटर वाद संख्या सी202308000000131 (श्रीमती सुनीता एवं अन्य बनाम तेजावती एवं अन्य), जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत दायर किया गया है, का विधि के अनुसार सख्ती से, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, गुण-दोष के आधार पर कारणयुक्त एवं स्पष्ट आदेश द्वारा शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से **छह माह** की अवधि के भीतर निस्तारण किया जाए, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो, तथा किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन प्रदान न किया जाए।

13. यह भी निर्देशित किया जाता है कि संबंधित प्राधिकारी याचिकाकर्ता के दिनांक 25.01.2023 के अंतरिम राहत संबंधी आवेदन पर उसके गुण-दोष के आधार पर, विधि के अनुसार सख्ती से, अगली निर्धारित तिथि अर्थात् 02.07.2026 को अथवा उसके पश्चात अधिकतम चार सप्ताह की अवधि के भीतर उचित आदेश पर विचार कर पारित करेगा।

14. उपर्युक्त निर्देशों/टिप्पणियों के साथ, वर्तमान याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

[न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिज़वी]

जून 3, 2026

मनोज के.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।